शिक्षा का अधिकार
समग्र शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2025 /2472 भोपाल, दिनांक 28.05.2025

प्रति,

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द्र
जिलाः– भिण्ड , म.प्र.

विषयः– अशासकीय विद्यालय WONDER PUBLIC SCHOOL MIHONA **के नाम परिवर्तन के संबंध में।**

सन्दर्भः– जिला शिक्षा केन्द्र भिण्ड का पत्र कमांक / 846 दिनांक 09.05.2025

अशासकीय विद्यालय WONDER PUBLIC SCHOOL MIHONA आईडी PS55849 का नाम WONDER PUBLIC CENTRAL SCHOOL आरटीई पोर्टल पर परिवर्तन करने हेतु दस्तावेजो सहित निर्धारित शुल्क जमा कर प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

1:– स्कूल का पूर्व नामः– WONDER PUBLIC SCHOOL MIHONA

2:– स्कूल का परिवर्तित नाम :– WONDER PUBLIC CENTRAL SCHOOL

उक्त स्कूल का नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को मान्य किया जाता है। आरटीई पोर्टल पर स्कूल का यह नवीन नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इस स्कूल का नाम UDISE+ पोर्टल पर भी जिला परियोजना समन्वयक स्तर से उक्तानुसार नाम परिवर्तित करने की कार्यवाही करें। स्कूल की मान्यता अवधि समाप्ति उपरांत मान्यता के नवीनीकरण होने के उपरांत ही शाला का संचालन किया जाये। स्कूल को पूर्व नाम से जारी मान्यता में उल्लेखित अन्य जानकारी, मान एवं मानक तथा मापदंड,स्थान स्कूल द्वारा यथावत रखी जाना अनिवार्य है एवं मान्यता नियम तथा समस्त शर्ते पूर्ववत ही लागू होगी।

(संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

(राकेश पाण्डेय)
नियंत्रक आरटीई
राज्य शिक्षा केन्द्र

पृष्ठांकन क्रमांक / राशिके / आरटीई / 2025 /2473 भोपाल दिनांक 28.05.2025

प्रतिलिपिः–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भिण्ड की और सूचनार्थ।

2 प्रधानाध्यापक WONDER PUBLIC SCHOOL MIHONA , सदर बाजार मिहोना, भिण्ड की और पालनार्थ।

नियंत्रक, आरटीई
राज्य शिक्षा केन्द्र

कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केन्द्र, भिण्ड

आवेदन क्रमांक: 177836 **आवेदन का प्रकार : नवीनीकरण मान्यता** **मान्यता दिनांक - 03/03/2025**

प्रति,

अध्यक्ष,

Late Pandit Shree Mangliprasad Dauhaliya Mahila And Bal Kalyan Shiksha Prasar And Samaj Kalyan Samiti

Wonder Public School Mihona

RAUN, भिण्ड , मध्यप्रदेश

विषय:- **नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।**

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक **31/01/2025** तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपके - **Wonder Public School Mihona** स्कूल आईडी -PS55849 विकासखंड-**RAUN** को स्कूल का प्रकार **प्राथमिक सह माध्यमिक,** शिक्षण का माध्यम **Hindi+English** कक्षा **प्री प्राइमरी-नर्सरी से आठवीं** तक के लिए दिनांक **01/04/2025** से **31/03/2028** तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगी :-

1. मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता की कोई बाध्यता किसी भी रूप में विवक्षित नहीं होगी।
2. स्कूल नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
3. स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वंचित समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा में 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमे प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वार्षिक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु इस प्रकार वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
5. सोसाइटी/स्कूल कोई भी कैपिटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अभिभावक के साथ किसी छानबीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
6. स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
   - (क) आयु के सबूत के आभाव में ;
   - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चयात ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
   - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर |
7. स्कूल सुनिश्चित करेगा कि –
   - (क) प्रायमरी स्कूल में किसी प्रवेशित बालक को स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक निष्कासित नही किया जाएगा।
   - (ख) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कक्षा 5 एवं 8 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में बाधा रहित कक्षोन्नति प्रदान की जायेगी।
   - (ग) किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा;
   - (घ) नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
   - (ड.) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दिव्यांग/विशेष आव'यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
   - (च) अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित योग्यता अनुसार शिक्षक ही कार्यरत रखे जाये। स्कूल में अधिनियम की धारा 19 एवं 25 में उल्लेखित मापदंडों के पूर्ति करते हुये मान्यता अवधि तक शिक्षको की नियुक्ति की व्यवस्था बनाए रखी जायेगी।
   - (छ) शिक्षको को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट उसके कर्तव्यों का पालन करना होगा;

Ashutosh Dauhliya
सचिव
स्व. पंडित श्री मंगलीप्रसाद दौहलिया महिला एवं
बाल कल्याण शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति
मिहोना जिला भिण्ड (म.प्र.)

Singh
Principal
Wonder Public Central School
Mihona Dist.Bhind (M.P.)

(ज) प्रायवेट शिक्षण की गतिविधियों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।

(झ) भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-4 के अधीन विर्निदिष्ट सन्नियमों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित हो।

(ञ) प्रतिवर्ष बच्चों से प्रभारित की जाने वाली फीस ऐसी रीति में अधिसूचित की जाए जो आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व निर्देशित की जाए तथा इसकी सूचना शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी को भी दी जाए। मध्यप्रदेश निजी विधालय विनियमन बोर्ड के नियमों के अनुसार ही फीस में बढोत्तरि की जा सकती है।

8. स्कूल समुचित प्राधिकारी व्दारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. स्कूल अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपात में बालकों का नामांकन करेगा।

10. स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं-

1. स्कूल के भवन की स्थिति	**किराए का भवन**
2. स्कूल परिसर का क्षेत्रफल	**78800**
3. कुल निर्मित क्षेत्रफल	**14000**
4. खेल मैदान का क्षेत्रफल	**60000**
5. कक्षाओं के कमरों की संख्या	**18**
6. प्रधानाध्यापक कक्ष-सह-कार्यालय-सह-स्टोर कक्ष	**3**
7. लड़कों और लड़कियों के लिए पृथक् प्रसाधन	**हाँ**
8. स्वच्छ पेयजल सुविधा	**हाँ**
9. मध्यान्ह भोजन के लिए रसोई घर	**1**
10. बाधा रहित प्रवेश की सुविधा	**हाँ**
11. पठन-पाठन सामग्री	**हाँ**
12. खेल एवं खेलकूद उपकरण	**हाँ**
13. पुस्तकालय की उपलब्धता	**हाँ**
14. शिक्षकों की संख्या	**19**

11. लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला परियोजना समन्वयकको भेजी जाएगी।

12. आपके स्कूल को आवंटित मान्यता कोड नम्बर **55849** है। इस कार्यालय के साथ कसी भी पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भति कए जाएं।

13. स्कूल ऐसी रिपोर्ट और जानकारी प्रस्तुत करेगा, जो स्कूल शिक्षा विभाग/राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा केन्द्र व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानाय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।

14. यदि कोई शाला उसके छात्रों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराती है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि वाहन हेतु सरकार द्वारा यथा विहित सुरक्षा सन्नियमों का पालन हो रहा है। शाला को स्कूल बसों में महिला कंडक्टर की उपलब्धता के संबंध में समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

15. सोसायटी/न्यास, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।

16. अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीय.

जिला परियोजना समन्वयक

जिला शिक्षा केंद्र

Digitally signed by RAM DAS MITTAL
Date: 2025.03.03 12:00:57 +05:30
Reason: RTE school recognition
Location:

* मान्यता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है, भौतिक हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं है।

Ashutosh Dauhliya

सचिव
स्व. पंडित श्री मंगलीप्रसाद दौहलिया महिला एवं
बाल कल्याण शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति
मिहोना जिला भिण्ड (म.प्र.)

Singh.
Principal
Wonder Public Central School
Mihona Dist.Bhind (M.P.)

कार्यालय, लोक शिक्षण संचालनालय,
संभाग –ग्वालियर,
, मध्यप्रदेश

(मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र)

क्रमांक/CERT15506/2021/132411 BHIND,दिनांक : 22-12-2022

प्रति,

WONDERPUBLICCENTRALSCHOOLMIHONA

विषय – मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी करने विषयक

मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017के नियम (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके आवेदन पत्र क्र. 132411 दिनांक 15-12-2020में प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला BHINDके द्वारा किये गए परीक्षण के आधार पर हाई स्कूल (HS)स्कूलों की मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

शाला का नाम : **WONDERPUBLICCENTRALSCHOOLMIHONA**

शाला का DISEकोड : **23030200138**

शाला का प्रकार : **हाई स्कूल (HS)**

माध्यम : **EnglishHindi**

वैधता सत्र : **2025-26**

1. स्कूल उन्ही कक्षाओं व् संकायों में प्रवेश दे सकेगा, जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई है |
2. सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या उसके विस्तार संबंधी जारी प्रमाण –पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जायेगा |
3. स्कूल में कार्यरत प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किन्ही भी राजनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा |
4. स्कूल, कार्यकरण के लिए आवश्यक विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लेखे और अन्य ऐसे समुचित अभिलेखों का संधारण करेगा | विभाग के अधिकारी आकस्मिक रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे |
5. स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "पालक -शिक्षक संघ" का गठन किया जावेगा |
6. स्कूल, श्रेष्ठ अकादमिक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास करेगा | प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में समस्त शिक्षकों को उनके सम्बंधित विषय में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जायेगा |
7. सम्यक निरीक्षण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी /ट्रस्ट,मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा|स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं |यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी /ट्रस्ट किन्ही मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक को नियम 1 1के उपनियम(1)मेंविनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी |
8. यदि नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानकों,शर्तों और उत्तरदायित्वों तथा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन का प्रथम दृष्टया पालन नहीं किया जाना पाया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को जाँच के आधार पर स्कूल की मान्यता निलंबित करने की शक्ति होगी |
9. कारण बताओ सूचना पर जारी किए जाने की दशा में यदि सोसायटी /ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का समाधान नहीं होता है तो संबंधित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्कूल की मान्यता उसके कारण विनिर्दिष्ट करते हुए रद्द कर सकेगा |
10. मान्यता के प्रत्याहरण होने पर,प्रस्तुत की गई सुरक्षा निधि को पूर्णतः या अंशतः,जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए,सम्पहृत हो जाएगी |
11. माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा |

Signature Valid
Digitally Signed By DEEPAK KUMAR PANDEY
(GWALIOR)
22 [illegible] 40

Ashutosh Dauhliya
सचिव
स्व. पंडित श्री मंगलीप्रसाद दौहलिया महिला एवं बाल कल्याण शिक्षा प्रचार एवं समाज कल्याण समिति
मिहोना जिला भिण्ड (म.प्र.)

Singh.
Principal
Wonder Public Central School
Mihona Dist. Bhind (M.P.)

संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,
संभाग-ग्वालियर,
मध्यप्रदेश

कार्यालय, लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश
(नवीन मान्यता प्रमाण पत्र)

क्रमांक/CERT10647/2023/DPI2310045 BHIND, दिनांक : 07-02-2023}

प्रति,

WONDER PUBLIC CENTRAL SCHOOL

विषय -नवीन मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने विषयक

मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 के नियम (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके आवेदन पत्र क्र. DPI2310045 दिनांक 28-10-2022 में प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला BHIND के द्वारा किये गए परीक्षण के आधार पर हायर सेकेंडरी (HSS)स्कूलों की नवीन मान्यता प्रदान की जाती है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

शाला का नाम :	**WONDER PUBLIC CENTRAL SCHOOL**
शाला का DISE कोड :	**23030200138**
शाला का प्रकार :	**हायर सेकेंडरी (HSS)**
माध्यम :	**English Hindi**
वैधता सत्र (पाच वर्ष) :	**2027-28**
समूह संकाय :	**Art Science Commerce Agriculture**

1. स्कूल उन्ही कक्षाओं व् संकायों में प्रवेश दे सकेगा, जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई है |
2. सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या उसके विस्तार संबंधी जारी प्रमाण – पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जायेगा |
3. स्कूल में कार्यरत प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किन्ही भी राजनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा |
4. स्कूल, कार्यकरण के लिए आवश्यक विद्याथियों एवं कर्मचारियों के लेखे और अन्य ऐसे समुचित अभिलेखों का संधारण करेगा | विभाग के अधिकारी आकस्मिक रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे |
5. स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "पालक -शिक्षक संघ" का गठन किया जावेगा |
6. स्कूल, श्रेष्ठ अकादमिक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास करेगा | प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में समस्त शिक्षकों को उनके सम्बंधित विषय में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जायेगा |
7. सम्यक निरीक्षण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी /ट्रस्ट,मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा|स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं |यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी /ट्रस्ट किन्ही मापदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक को नियम 11 के उपनियम(1)में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे वापस लेने की शक्ति होगी |
8. यदि नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानकों,शर्तों और उत्तरदायित्वों तथा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन [illegible] पालन नहीं किया जाना पाया जाता है तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को जाँच के आधार पर स्कूल की मान्यता निलंबित करने की शक्ति होगी |
9. कारण बताओ सूचना पर जारी किए जाने की दशा में यदि सोसायटी /ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का समाधान नहीं [illegible] वह सम्बंधित को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्कूल की मान्यता उसके कारण विनिर्दिष्ट करते हुए रद्द कर सकेगा |
10. मान्यता के प्रत्याहरण होने पर,प्रस्तुत की गई सुरक्षा निधि को पूर्णतः या अंशतः,जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए,सम्पहृत हो जाएगी |
11. माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा |

Signature valid
Digitally Signed By DEEPAK KUMAR PANDEY
(GWALIOR)
Date : 07 Feb 2023 15:17:42 IST

Ashutosh Dauhliya
सचिव
स्व. पंडित श्री मंगलीप्रसाद दौहलिया महिला एवं बाल कल्याण शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति
मिहोना जिला भिण्ड (म.प्र.)

Singh
Principal
Wonder Public Central School
Mihona Dist.Bhind (M.P.)

संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण,
संभाग–ग्वालियर
,मध्यप्रदेश